प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्र. 196/2011

याचिकाकर्ता संतोष कुमार उपाध्याय एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश हेतु दिनांक 23 अप्रैल, 2012 को सूचीबद्ध किया जाए।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्र. 196/2011

याचिकाकर्ता संतोष कुमार उपाध्याय एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(भारतीय संपरिनियम के कंडिका 226 के अंतर्गत दाखिल रिट याचिका)
एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति।

उपस्थित: श्री आर.सी.अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं डॉ.एन.के.शुक्ला वरिष्ठ अधिवक्ता सह संघर्ष पांडे, अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्तागण।

श्री वाय.एस.ठाकुर, उप महाधिवक्ता वास्ते राज्य/उत्तरवादीगण क्र. 1 व 2।

श्री नीरज चौबे अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्रमांक 3।

(दिनांक 23 अप्रैल, 2012 को घोषित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. याचिकाकर्तागण, जो स्वयं को उत्तरवादी क्रमांक-3 — पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय (संक्षेप में "विश्वविद्यालय") के सेवानिवृत्त कर्मचारी होने का दावा करते हैं, इस याचिका के माध्यम से उत्तरवादी प्राधिकारियों के विरुद्ध यह निर्देश चाह रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं को समस्त पेंशन संबंधी लाभ तथा दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन, राज्य शासन के कर्मचारियों के समकक्ष, उसी तिथि से प्रदान की जाए जिस तिथि से राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभों का पुनरीक्षण किया गया था। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता यह भी प्रार्थना करते हैं कि उन्हें पेंशन संबंधी लाभों के संदर्भ में छठे वेतन आयोग का लाभ भी प्रदान किया जाए, जैसा कि उक्त लाभ राज्य शासन के कर्मचारियों को उपलब्ध कराया गया है।

2. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए संक्षिप्त किंतु निर्विवाद तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता तृतीय उत्तरवादी/विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। तत्समय मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दिनांक 6 दिसंबर, 1989 को जारी परिपत्र (अनुलग्नक –आर/1) के माध्यम से यह निर्णय लिया था कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को उपदान, पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा पेंशन की गणना संबंधी लाभ, शासकीय कर्मचारियों के समकक्ष प्रदान किए जाएंगे। तथापि, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि इसके अंतर्गत कोई अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा तथा उक्त समस्त लाभ विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अंशदायी निधि से ही उपलब्ध कराए जाएंगे। जिसे दिनांक 22 मार्च, 2001 के ज्ञापन (अनुलग्नक–आर/5) अनुमोदन सहित, के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई, जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी किया गया था। याचिकाकर्ता उपर्युक्त लाभों का दावा विश्वविद्यालय की परिणियम क्रमांक 32 (अनुलग्नक–पी/2) के आधार पर तथा राज्य सरकार के दिनांक 6 दिसंबर, 1989 के परिपत्र

के आधार पर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय एकलपीठ द्वारा, **के.एल. खंडेलवाल एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य**[1], में पारित आदेश के आधार पर भी लाभ का दावा कर रहे हैं, जिसमें याचिकाकर्ता क्रमांक 1, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के सेवानिवृत्त उप पंजीयक थे। उक्त याचिका में राज्य सरकार के दिनांक 6 दिसंबर, 1989 के परिपत्र पर विचार किया गया था।

3. श्री अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉ. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, तथा श्री पाण्डेय, अधिवक्ता, के साथ याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए, यह निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 26 मई, 2009 को (अनुलग्नक –पी/1) एक अभ्यावेदन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के समक्ष संशोधित पेंशन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था। तथापि, उक्त अभ्यावेदन पर आज दिनांक तक कोई निर्णय नहीं लिया गया तथा उससे याचिकाकर्ताओं को कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रार्थना की जाती है कि उपर्युक्तानुसार राज्य शासन को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ।

4. इसके विपरीत, श्री ठाकुर, विद्वान उप महाधिवक्ता, जो कि राज्य/उत्तरवादीगण क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित हुए, राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर पर भरोसा रखते हुए यह निवेदन करते हैं कि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी राज्य शासन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समकक्ष सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। श्री ठाकुर आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया हैं कि तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 6 दिसंबर, 1989 को जारी परिपत्र को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा विधिवत् रूप से अंगीकृत कर लिया गया है, जिसका स्पष्ट उल्लेख दिनांक 22 मार्च, 2001 के ज्ञापन से होता है। श्री ठाकुर यह भी निवेदन करते हैं कि परिपत्र क्रमांक 32 की खंड 9 के अनुसार विश्वविद्यालय को अपने कर्मचारियों के लिए पृथक पेंशन एवं उपदान निधि का सृजन करना अनिवार्य है। उक्त निधि का संचालन राज्य शासन द्वारा किया जाना है तथा यदि किसी कारणवश उक्त निधि में धनराशि की कमी उत्पन्न होती है, तो राज्य शासन द्वारा उसके लिए अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेख किया गया कि हाल ही में राज्य शासन द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर, 2010 के पत्र के माध्यम से उक्त निधि हेतु ₹2.00 करोड़ (दो करोड़ रुपये) की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका उल्लेख विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों के साथ संलग्न पत्र में किया गया है। तथापि, यह स्पष्ट किया गया कि पेंशन एवं उपदान निधि का सृजन करना तथा उसके अंतर्गत देय भुगतान करना, जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, पूर्णतः विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है।

5. श्री चौबे, तृतीय उत्तरवादी/विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, यह तर्क करते हैं कि उत्तरवादी विश्वविद्यालय एक राज्य विश्वविद्यालय है तथा व्यावहारिक एवं प्रशासनिक सभी दृष्टियों से उसकी वित्तीय व्यवस्था एवं नियंत्रण राज्य शासन के अधीन है। उन्होंने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की खंड 47 एवं 48 के प्रावधानों के अनुसार यह अनिवार्य किया गया है कि राज्य सरकार यथाशीघ्र विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य परिनियम सभा के पटल पर प्रस्तुत कराए। उक्त वैधानिक प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय के वित्तीय कार्यों की निगरानी एवं उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। अतः यह दायित्व भी राज्य सरकार का ही है कि वह विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय पुनर्नियोजन/पुनःस्थापन लाभों अथवा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान संबंधी समस्त वित्तीय दायित्वों का निर्वहन करे।

---

[1] डब्ल्यूपी संख्या 1736 वर्ष 1996 (निर्णय दिनांक 25-2-1999)

6. मैंने दोनों पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं तथा प्रस्तुत अभिकथनों एवं उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

7. परिनियम क्रमांक 32 को समन्वय समिति द्वारा दिनांक 27-28 अक्टूबर, 1986 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया था, जो दिनांक 1 अप्रैल, 1987 से प्रभावशील हुई। परिणियम क्रमांक 32 की सुसंगत खंड, अर्थात् खंड 9, खंड 13 (क) एवं (ङ) तथा खंड 14 (क), (घ), (ङ) एवं (च) इस प्रकार हैं:

> "9. विश्वविद्यालय कर्मचारी पेंशन एवं उपदान निधि का संचालन एवं गठन— विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अंतर्गत निर्धारित पेंशन एवं उपदान के भुगतान पर होने वाले व्यय को वहन करने तथा योजना के संचालन से संबंधित अन्य आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के उद्देश्य से एक 'विश्वविद्यालय कर्मचारी पेंशन एवं उपदान निधि' (यू.एन.आई.पी.ई.एन.जी.आर.ए.एफ) की स्थापना की जाएगी। यह निधि केंद्रीय रूप से नियंत्रित एवं प्रशासित की जाएगी तथा इसका प्रबंधन मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग / उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा किया जाएगा। यह निधि निम्नलिखित राशियों से गठित एवं संरचित होगी:
>
> (क) उन कर्मचारियों के संबंध में, जिन्होंने इस परिनियम के अंतर्गत पेंशन एवं उपदान योजना में सम्मिलित होने का विकल्प चुना है, विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के खाते में परिनियम क्रमांक 26 के अनुसार विश्वविद्यालय अंश के रूप में जमा की गई मासिक अंशदायी भविष्य निधि की सदस्यता राशि।
>
> (ख) प्रत्येक कर्मचारी के अंशदायी भविष्य निधि खाते में विश्वविद्यालय अंश के रूप में जमा की गई कुल संचित राशि, उस पर देय ब्याज सहित (विश्वविद्यालय द्वारा राशि अंतरण की तिथि तक), को मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के स्तर पर संधारित विश्वविद्यालय कर्मचारी पेंशन एवं उपदान निधि (यू.एन.आई.पी.ई.एन.जी.आर.ए.एफ) में जमा किया जाएगा। तथापि, जिन कर्मचारियों ने अंशदायी भविष्य निधि योजना को बनाए रखने का विकल्प चुना है, उनके संबंध में विश्वविद्यालय अंश को विश्वविद्यालय कर्मचारी पेंशन एवं उपदान निधि में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे परिनियम क्रमांक 26 के अंतर्गत विद्यमान अंशदायी भविष्य निधि योजना के अनुसार पृथक रूप से संधारित किया जाएगा।
>
> पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय का कुलसचिव यह सुनिश्चित करेगा कि परिनियम के प्रख्यापन की तिथि से एक माह के भीतर विश्वविद्यालय अंश की संचित राशि का न्यूनतम 90 प्रतिशत भाग विश्वविद्यालय कर्मचारी पेंशन एवं उपदान निधि (यूनिपेंग्राफ) में जमा कर दिया जाए। केवल वही कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत आच्छादित माने जाएंगे, जिनके संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर विश्वविद्यालय अंश का 90 प्रतिशत भाग पेंशन निधि में जमा किया गया हो। जहाँ किसी विश्वविद्यालय द्वारा किसी कर्मचारी को संबंधित परिनियम के अंतर्गत अंशदायी भविष्य निधि की कुल राशि के 75

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिशत तक गृह निर्माण अग्रिम प्रदान किया गया हो, वहाँ किसी कर्मचारी के देय विश्वविद्यालय अंश के 90 प्रतिशत जमा करने की शर्त को, प्रत्येक प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा शिथिल किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग सक्षम प्राधिकारी होगा तथा उसके द्वारा जारी निर्देश विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे। ऐसे मामलों में, जिन कर्मचारियों के संबंध में आयोग द्वारा शिथिलता प्रदान की गई हो, वे कर्मचारी भी इस योजना के अंतर्गत आच्छादित माने जाएंगे। शेष 10 प्रतिशत विश्वविद्यालय अंश, उस पर देय ब्याज सहित, विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा, इस परिनियम के प्रख्यापन की तिथि से अधिकतम छह माह की अवधि के भीतर, उन कर्मचारियों के संबंध में विश्वविद्यालय कर्मचारी पेंशन एवं उपदान निधि (यूनिपेंग्राफ) में जमा किया जाएगा, जिन्होंने इस योजना में सम्मिलित होने का विकल्प चुना है।

(ग) पेंशन एवं उपदान योजना के संचालन में उत्पन्न होने वाली निधि की कमी को पूरा करने के लिए समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान।

(घ) उपरोक्त कंडिका 8(ख) में उल्लिखित राशि।

(ङ) निधि के निवेश से अर्जित ब्याज की राशि।

(च) वे कर्मचारी, जो दिनांक 1.4.1987 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा जिन्होंने पेंशन एवं उपदान योजना में सम्मिलित होने का विकल्प दिया है और जिन्होंने अपनी अंशदायी भविष्य निधि की राशि (आंशिक या पूर्ण), उस पर देय ब्याज सहित, प्राप्त कर ली है, ऐसे कर्मचारियों को यह आवश्यक होगा कि वे विश्वविद्यालय में एकमुश्त किस्त में विश्वविद्यालय अंश की आंशिक अथवा पूर्ण राशि, उस पर प्राप्त ब्याज सहित, तथा उपरोक्त राशि पर उसकी प्राप्ति की तिथि से लेकर पेंशन निधि में जमा किए जाने की तिथि तक 5 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित, विश्वविद्यालय कर्मचारी पेंशन एवं उपदान निधि (यूनिपेंग्राफ) में जमा करें। यह राशि इस परिनियम के प्रख्यापन की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर जमा की जानी आवश्यक होगी, ताकि संबंधित कर्मचारी पेंशन एवं उपदान योजना का लाभ प्राप्त कर सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पेंशन एवं उपदान के भुगतान को विनियमित करने की प्रक्रिया—

(क) पेंशन प्राप्त करने के उद्देश्य से, प्रत्येक पेंशनभोगी को अपने स्वयं के नाम से (एकल खाता) निर्दिष्ट भुगतान शाखा वाले बैंक में एक बचत बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा।

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

(ङ) विश्वविद्यालय का पंजीयक पेंशन, उपदान, पेंशन के समर्पण, अग्रिम/अनंतिम पेंशन तथा उपदान को स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा। इस प्रकार

स्वीकृत की गई राशि का भुगतान संबंधित ..... (बैंक) द्वारा केवल मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल के वित्त अधिकारी (पेंशन) द्वारा अभिलेखन/अनुमोदन किए जाने के पश्चात ही किया जाएगा।

इस परिनियम के अंतर्गत पेंशन एवं उपदान दावों के निपटारे से संबंधित सभी वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाहियाँ उस विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की जाएँगी, जिससे संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ हो।

(ii) विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात पेंशन, उपदान तथा संराशित पेंशन से संबंधित सभी भुगतानों का अभिलेखन मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल के वित्त अधिकारी (पेंशन) द्वारा किया जाएगा तथा जारी किया गया पत्र संबंधित बैंक को यह अधिकार प्रदान करेगा कि वह पेंशनभोगी द्वारा चयनित बैंक शाखा के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था करे।

14. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पेंशन एवं उपदान के भुगतान की प्रक्रिया—

(क) सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को देय पेंशन, पारिवारिक पेंशन, उपदान तथा संराशित राशि की गणना करते समय मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 तथा मध्य प्रदेश सिविल पेंशन (संराशित) नियम, 1976, जैसा कि समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित किए गए हों, में निर्धारित प्रक्रिया, प्रपत्र (Proformas) एवं नियम आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(घ) कुलसचिव द्वारा पेंशन प्रकरण तैयार किए जाने के पश्चात, पेंशन से संबंधित समस्त अभिलेख कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम 13 माह पूर्व मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल के वित्त अधिकारी (पेंशन) को अभिलेखन तथा पेंशन, उपदान आदि के भुगतान हेतु प्राधिकरण जारी करने के लिए अग्रेषित किए जाएँगे। कुलसचिव द्वारा अग्रेषित पेंशन प्रकरण का विश्वविद्यालय में पदस्थ स्थानीय निधि के आवासीय लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा पूर्व लेखा-परीक्षण किया जाएगा।

(ङ) विश्वविद्यालय के कुलसचिव से पेंशन प्रकरण प्राप्त होने पर, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल के वित्त अधिकारी (पेंशन) द्वारा उसका शीघ्र परीक्षण किया जाएगा। जब वह इस बात से संतुष्ट हो जाएँगे कि कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत पेंशन प्रकरण सभी दृष्टियों से विधिवत एवं पूर्ण है, तब वह निर्दिष्ट बैंक को पेंशन एवं उपदान के भुगतान हेतु अधिकृत करेगा। पेंशन भुगतान आदेश की प्रथम प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय हेतु, द्वितीय प्रति पेंशनभोगी हेतु तथा तृतीय प्रति विश्वविद्यालय अभिलेख हेतु होगी। नामित बैंक को प्रथम एवं चतुर्थ प्रति प्राप्त होने के पश्चात, वह चतुर्थ प्रति उस बैंक शाखा को भेजेगा जिसके माध्यम से कर्मचारी ने अपनी पेंशन के भुगतान की इच्छा व्यक्त की हो। पीपीओ की द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रति पर स्पष्ट रूप से यह उल्लेख रहेगा कि उनके आधार पर किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जा सकता।

(च) विश्वविद्यालय का कुलसचिव, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में निहित प्रावधानों के अनुसार, अग्रिम पेंशन अथवा अग्रिम उपदान या अनंतिम

पेंशन अथवा अनंतिम उपदान स्वीकृत कर सकता है, जिसकी सूचना मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल के वित्त अधिकारी (पेंशन) को दी जाएगी। तथापि, यह कार्यवाही केवल उसी स्थिति में की जाएगी जब पेंशन प्रकरण तैयार कर भुगतान प्राधिकरण जारी करने हेतु आयोग को भेज दिया गया हो। अग्रिम पेंशन अथवा उपदान या अनातिम पेंशन अथवा उपदान के भुगतान की प्रक्रिया वही होगी, जो ऊपर पैरा 14(ङ) में अनंतिम पेंशन एवं उपदान के भुगतान हेतु निर्धारित की गई है।"

8. परिनियम संख्या 32 की खंड 9 कर्मचारियों के पेंशन एवं उपदान निधि के सृजन हेतु अंशदान का प्रावधान करती है। उक्त खंड के अंतर्गत यह भी प्रावधानित है कि प्रत्येक कर्मचारी उक्त निधि में निर्धारित अंशदान करेगा तथा विश्वविद्यालय भी उसी के समतुल्य राशि का अंशदान उक्त निधि में करेगा। यह भी स्पष्ट रूप से उपबंधित है कि उक्त पेंशन एवं उपदान निधि का केन्द्रीय स्तर पर नियंत्रण एवं प्रशासन मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुदान का उपयोग पेंशन एवं उपदान योजना के संचालन में उत्पन्न होने वाली निधि की कमी को पूरा करने हेतु किया जाएगा।

9. परिनियम संख्या 32 की खंड 13 कर्मचारियों को पेंशन एवं उपदान के भुगतान को विनियमित करने की प्रक्रिया का प्रावधान करती है, जबकि खंड 14 विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पेंशन एवं उपदान भुगतान से संबंधित प्रक्रिया को निर्धारित करती है। उक्त धाराओं के अंतर्गत पेंशन एवं उपदान के निर्धारण, स्वीकृति तथा भुगतान की संपूर्ण विधिक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. यह परिनियम का एक सुव्यवस्थित एवं स्थापित सिद्धांत है कि पेंशन कोई अनुग्रह (बाउंटी) नहीं है, जिसे सरकार की इच्छा अथवा प्रसन्नता पर दिया जाए, बल्कि इसके विपरीत पेंशन एक मूल्यवान एवं वैधानिक अधिकार है, जो सरकारी सेवक में निहित होता है। (देखें: **देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य[2] एस.सी.सी., पृष्ठ 344, कंडिका 31**।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में **पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, पटियाला बनाम मंगल सिंह एवं अन्य**[3] के प्रकरण में निम्नलिखित टिप्पणी की है :

> "34. पेंशन एक सेवानिवृत्ति लाभ है, जिसका स्वरूप नियमित भुगतान का होता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा अतीत में प्रदान की गई सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप दिया जाता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यद्यपि पेंशन कोई अनुग्रह नहीं है, बल्कि इसे अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है, तथापि यह अधिकार न तो पूर्ण है और न ही बिना शर्त। पेंशन का दावा करने वाले व्यक्ति को परिनियम के अंतर्गत अपनी पात्रता स्थापित करनी होती है। यह पात्रता विभिन्न तथ्यों, परिस्थितियों अथवा शर्तों पर निर्भर हो सकती है। किसी विशिष्ट मामले में, यह प्रश्न कि कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन का हकदार है या नहीं, पूर्णतः लागू नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों तथा उनकी व्याख्या पर निर्भर करता है।"

---

[2] 1971 (2) एससीसी 330

[3] (2011)11 एससीसी 702

आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि:

> "29. यह परिनियम का सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए वे विनियम, जो कर्मचारियों की सेवा की शर्तों—जिसमें सेवानिवृत्ति लाभों का अनुदान भी सम्मिलित है—को निर्धारित करते हैं, परिनियम का बल रखते हैं। वैधानिक शक्तियों के अंतर्गत विधिवत् बनाए गए विनियम, सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए अधिनियम के समान ही बाध्यकारी एवं प्रभावी होते हैं। वैधानिक निकायों के साथ-साथ सामान्य जन भी इन विनियमों में निर्धारित शर्तों एवं प्रावधानों का विधिक रूप से पालन करने के लिए बाध्य हैं। इन विनियमों की शर्तों के उल्लंघन में किया गया कोई भी कार्य अथवा पारित कोई भी आदेश, उन विनियमों का उल्लंघन माना जाएगा, जो स्वभावतः वैधानिक प्रावधानों की प्रकृति के होते हैं, और ऐसा कार्य या आदेश अवैध तथा अमान्य घोषित किए जाने योग्य होगा।"

12. इस प्रकार सृजित निधि का नियंत्रण एवं प्रशासन मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना था। तथापि, वर्ष 1994 में शिक्षा अनुदान आयोग के समाप्त (उन्मूलित) किए जाने के पश्चात्, उक्त निधि का नियंत्रण एवं प्रशासन राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाने लगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. तत्पश्चात्, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) अधिनियम, 1994 (संक्षेप में "अधिनियम, 1994") के प्रावधानों के अंतर्गत, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1973 को निरसित कर दिया गया और इसके परिणामस्वरूप, अधिनियम, 1994 की खंड 3 की उपखंड (1) के अंतर्गत आयोग विधिवत् रूप से भंग (विघटित) हो गया।

14. अधिनियम, 1994 की खंड 3 की उपखंड (2) में यह प्रावधान किया गया है कि नियुक्त दिनांक को आयोग की समस्त परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे तथा राज्य सरकार को ऐसी परिसंपत्तियों पर अधिकार प्राप्त करने, उनकी वसूली करने, उनके निपटान एवं प्रबंधन हेतु तथा आयोग के समस्त दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

15. अधिनियम, 1994 की खंड 3 की उपखंड (3) में यह भी प्रावधान है कि नियुक्त दिनांक से ठीक पूर्व आयोग जिस किसी कार्यवाही में पक्षकार था, वह कार्यवाही इस प्रकार जारी रहेगी मानो आयोग के स्थान पर राज्य सरकार उक्त कार्यवाही की पक्षकार हो।

16. उपर्युक्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि आयोग के समस्त दायित्वों एवं कार्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता रहा। याचिकाकर्ता, विश्वविद्यालय के कर्मचारी होने के कारण, उपर्युक्तानुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान समस्त लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। तदनुसार, उत्तरवादिगण को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु समय-समय पर संशोधित पुनरीक्षित सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करें, जो कि परिनियम क्रमांक 32 के प्रावधानों के अनुरूप तथा तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 6 दिसंबर, 1989 को जारी परिपत्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2001 को जारी ज्ञापन के अनुसार हों।

17. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त सीमा तक यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है तथा प्रत्येक पक्ष अपने-अपने वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By .....Shreyas Nayak (Advocate).....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur